न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 31/19

GCMS NO 2019/00087

1. रामधन पुत्र गजानन्द
2. धनपाल पुत्र गजानन्द
3. कम्पूराम पुत्र गजानन्द
4. भरतलाल पुत्र गजानन्द
5. टीकाराम पुत्र भोरया समस्त जातियान मीना निवासीयान खांटकलां तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. मदनलाल पुत्र रामकुंवार जाति मीना निवासी खांटकलां तहसील व जिला सवाई माधोपुर
2. स्वरूपी पत्नि कन्हैया लाल जाति मीना निवासी खांटकलां तहसील व जिला सवाई माधोपुर
3. सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 57/17 निर्णय दिनांक 15.3.19 न्यायालय उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर)

अभिभाषक अपीला0 श्री जगदीश प्रसाद शर्मा

अभिभाषक रेस्पो0 श्री राधेश्याम बैष्णव

दिनांक 04.06.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 15.3.19 न्यायालय उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 मदनलाल पुत्र रामकुवार ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात ख0न0 212 व 345 जिसमे रिहायशी पुख्ता मकान बना हुआ है तथा टयूबवेल स्थित है। उक्त आराजी मे आने जाने के लिए एक मात्र रास्ता है जो खसरा न0 338,333,332,324,323,344 है0 उक्त रास्ता कदीमी है। इसके अलावा कोई रास्ता उपलब्ध नही है। खसरा न0 338,332,333 की खातेदारी श्रीमती स्वरूपी पत्नि कन्हैया लाल मीना निवासी खाटकलां के द्वारा 100/–रूपये के स्टाम्प पर लिख कर दिया है कि उसकी उक्त खातेदारी मे से 15 फीट चौडा रास्ता दर्ज करने पर वह सहमत है , शेष खसरा न0 323,324,344 गैर मुमकिन टीबा सिवायचक है। उक्त सिवायचक भूमि मे से 15 फीट चौडा रास्ता आने जाने के लिए दिया जाता है तो प्रार्थी को कृषि भूमि पर ट्रेक्टर व अन्य उपकरण लाने व ले जाने मे सुविधा होगी। उक्त रास्ते की सिवायचक भूमि की एवज मे प्रार्थी राजकीय निर्धारित दर से राशि जमा कराने पर सहमत है। अतः नियमानुसार डी एल सी दर से मुआवजा लेकर रास्ता उपलब्ध कराया जावे। इस प्रकार की इच्छा अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ... /प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251 ए स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील अधिनस्थ न्यायालय मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:55:50 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

पक्षकार नही होने के कारण धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं पत्रावली के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पो0 संख्या 1 ने अपीलांटगण को पक्षकार बनाये बिना ही गुपचुप तरीके से अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र धारा 251 क पेश किया है। जिसमे अपीलांटगण को जानबूझकर पक्षकार नही बनाया है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन प्रकरण की जानकारी अपीलांटगण को सर्वप्रथम पटवारी हल्का द्वारा मौके पर रास्ता खुलासा करवाने बाबत मौका रिपोर्ट बनाये जाने पर दिनांक 25.6.19 को हुई। इससे पूर्व अपीलांटगण को कतई जानकारी नही थी। अधिनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 सख्या 2 ने माननीय न्यायालय से विवादित भूमि बाबत स्थगन होते हुए भी तथ्यो को छुपाते हुए सहमति पत्र लिखकर दिया है। जबकि रेस्पो0 संख्या 2 को रास्ते बाबत सहमति देने का अधिकार नही था। इस तथ्य पर भी अधिनस्थ न्यायालय ने कतई गौर नही किया है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एक पक्षीय होने एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्वान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट भी तलब नही की गई एवं विवादित भूमि खसरा न0 323,324,344 के चरपेटवा स्थित कृषि भूमि ख़सरा न0 318,319 अपीलांट के नाम की होने के कारण पटवारी हल्का ने उक्त भूमि का रास्ता जानबूझकर खातेदारी की भूमि में होकर निकालने पर आमादा है। इसलिए अपीलांटगण का हित निहित होने के कारण अपील प्रस्तुत की जा रही है। इस बाबत अपील स्वीकृति हेतु अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय इल्लीगल इम्प्रोपर व इनकरेक्ट होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के निर्देश प्रदान किये जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस मे तर्क दिया कि रेस्पो/प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी की आराजीयात पर आने जाने हेतु कोई रास्ता पूर्व से मौजूद नही होने एवं कदीमी रास्ता खसरा न0 338,333,332,324,323,344 मे से होने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रास्ते की मांग की गई थी। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुरूप तहसीलदार सवाई माधोपुर से रास्ते के बाबत तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की [illegible] सीलदार सवाई माधोपुर द्वारा अपनी रिपोर्ट मे स्पष्ट उल्लेख किया [illegible] के खसरा न0 345,346,347,349,350,393,212 की खातेदारी [illegible] नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी/रेस्पो0 को अपनी आराजी पर आने जाने हेतु खसरा न[illegible]323,324 व 344 कुल रकबा 0.04

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:55:50 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

है0 सिवायचक मे से गैर मुमकिन रास्ता दिये जाने की सिफारिश की गई है। जिसमे अपीलांट का किसी प्रकार का कोई रकबा शामिल नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का किसी प्रकार का कोई रकबा रास्ते के लिए प्रदान किया गया है जिसके कारण उसके किसी प्रकार के हित प्रभावित नही होते है। अपीलांट द्वारा अपील रेस्पो/प्रार्थी को नाजायज रूप से हेरान परेशान करने के उद्वेश्य से धारा 96 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अपनी भूमि खसरा न0 212 व 345 पर आने जाने हेतु पूर्व से कोई रास्ता मौजूद नही होने एवं कदीमी रास्ता खसरा न0 338,333,332,324,323,344 मे से होने के कारण रास्ते की मांग की गई थी। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुरूप तहसीलदार सवाई माधोपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की जाकर भूमि खसरा न0 323,324 व 344 सिवायचक मे से 15 फीट चौडा रास्ते हेतु काम आने वाली भूमि की प्रचलित डी एल सी दर से दो गुना राशि उचित मद मे जमा कराने की शर्त पर रास्ता कायम करने के आदेश पारित किये गये है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की भूमि मे से किसी प्रकार की भूमि रास्ते हेतु काम मे नही ली गई है जिससे अपीलांट के हित एवं अधिकार प्रभावित होते हो। इसी बजह से अपीलांट को अधिनस्थ न्यायालय मे पक्षकार नही बनाया गया है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवई माधोपुर के मु0नं0 57/17 मे पारित निर्णय दिनांक 15.3.19 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 4.6.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:55:50 IST
Reason: SelfAttested